अनुदान संख्या 9 – कोयला मंत्रालय
GRANT No. 9–MINISTRY OF COAL

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
स्वीक त-	Voted–					
मूल	Original	345,50,00		348,08,00	241,68,96	–106,39,04
पूरक	Supplementary	2,58,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					106,24,79
पूंजीगत:	**Capital:**					
स्वीक त-	Voted–			30,00,00	29,83,68	–16,32
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					4,92

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (10639.04 लाख रु.) अक्तूबर, 2008 में प्राप्त किए गए 258.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 31 प्रतिशत थीं।

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.10639.04 lakhs) exceeded the supplementary grant of Rs.258.00 lakhs obtained in October, 2008 and constituted 31 percent of the total sanctioned provision.

Savings occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"				
सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Secretariat – Economic Services				
मू.	O.	1149.00			
पू.	S.	163.00	935.37	921.26	–14.11
पु.	R.	–376.63			

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2230'' श्रम और रोजगार	Major Head "2230" Labour and Employment					
मू.	O.	3352.00		3102.00	3102.00	. .
पु.	R.	–250.00				
मुख्य शीर्ष "2803'' कोयला और लिग्नाइट	Major Head "2803" Coal and Lignite					
मू.	O.	27049.00				
पू.	S.	95.00		20145.84	20145.70	–0.14
पु.	R.	–6998.16				
मुख्य शीर्ष "2552'' उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas					
मू.	O.	3000.00		. .	. .	. .
पु.	R.	–3000.00				

(I) 5180.00 लाख रु. का प्रावधान पांच शीर्षों के अंतर्गत निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(का) मुख्य शीर्ष "2803'' - "कोयला और लिग्नाइट कंपनियों को सहायता - कोयला पूरित क्षेत्रों में परिवहन संबंधी अवसंरचना के विकास के लिए उपकर (उत्पाद शुल्क) संग्रहण के लिए अदायगी'' - 2180.00 लाख रु. वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने, योजना आयोग द्वारा स्कीम के मूल्यांकन को अनुमोदित न किए जाने और वित्त मंत्रालय द्वारा व्यय वित्त समिति प्रक्रिया से छूट प्रदान न किए जाने के कारण थे।

(खा) मुख्य शीर्ष "2552'' -

(I) Provision of Rs.5180.00 lakhs remained wholly unutilised under five heads under the following major heads:-

(A) Major Head "2803" - "Assistance to Coal and Lignite Companies - Payment against collection of cess (excise duty) towards Development of Transportation Infrastructure in Coalfield Areas" - Rs.2180.00 lakhs - due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance, non-approval of appraisal of scheme by Planning Commission and non-granting of exemption from Expenditure Finance Committee procedure by the Ministry of Finance.

(B) Major Head "2552" -

(क) ''कोयला और लिग्नाइट - अन्य व्यय''-

(i) ''क्षेत्रीय अन्वेषण'' - 820.00 लाख रु.;

(ii) ''पर्यावरणीय उपाय और अवतलन नियंत्रण'' - 270.00 लाख रु.;

(iii) ''विस्तृत तलभेदन'' - 1640.00 लाख रु.; और

(ख) ''कोयला और लिग्नाइट - अनुसंधान और विकास - अन्य स्कीमें'' - 270.00 लाख रु.।

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र में कोयला कंपनियों द्वारा कार्यान्वयन के लिए किसी स्कीम के न होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष ''3451'' - ''सचिवालय - कोयला मंत्रालय'' के अंतर्गत 1149.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 163.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 1312.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 390.74 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) रिक्त पदों के न भरे जाने, सूचना और प्रौद्योगिकी उपस्करों की खरीद को मूर्त रूप न दिए जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष ''2230'' - ''श्रम - श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा - कोयला खान पेंशन स्कीम, 1998'' के अंतर्गत 250.00 लाख रु. की बचत (3170.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोयला खान पेंशन स्कीम, 1998 के संभावित सदस्यता के आधार पर संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष ''2803'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''कोयला और लिग्नाइट कंपनियों को सहायता - कोयला और कोक पर उपकर (उत्पाद शुल्क) संग्रहण के लिए अदायगी'' - 300.00 लाख रु. की बचत (13500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(a) "Coal and Lignite – Other Expenditure"-

(i) "Regional Exploration" – Rs.820.00 lakhs;

(ii) "Environmental Measures and Subsidence Control" – Rs.270.00 lakhs;

(iii) "Detailed Drilling" – Rs.1640.00 lakhs; and

(b) "Coal and Lignite – Research and Development – Other Schemes" – Rs.270.00 lakhs.

Provisions under the above four heads remained unutilised due to non-existence of any scheme to be implemented in North Eastern Region by the coal companies.

(II) Under Major Head "3451" – "Secretariat – Ministry of Coal" – the original provision of Rs.1149.00 lakhs was augmented to Rs.1312.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.163.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.390.74 lakhs (including supplementary grant) - due to non-filling up of vacant posts, non-materialisation of purchase of Information and Technology equipments and economy measures.

(III) Under Major Head "2230" - "Labour - Social Security for labour – Coal Mines Pension Scheme, 1998" - saving of Rs.250.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3170.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage based on expected membership of the Coal Mines Pension Scheme,1998.

(IV) Under Major Head "2803" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Assistance to Coal and Lignite Companies - Payment against Collection of Cess (excise duty) on coal and coke" - saving of Rs.300.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.13500.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage.

(खा) "अन्य व्यय - विस्तृत तलभेदन'' के अंतर्गत 4500.00 लाख रु. की बचत (6000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने और तलभेदन कार्य को बाह्य स्रोतों से कराए जाने के लिए निविदा जारी किए जाने की प्रक्रिया में विलंब होने के कारण हुई।

(B) "Other Expenditure - Detailed Drilling" - saving of Rs.4500.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.6000.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage and delay in tendering process for outsourcing of drilling work.

2. *कोयला खान श्रमिक आवास तथा सामान्य कल्याण निधि:-*

2. *Coal Mines Labour Housing and General Welfare Fund:-*

कोयला खान कल्याण निधि अधिनियम, 1947 के अधीन कोयला और कोक के प्रेषण पर लगाए गए उपकर की प्राप्तियां शीर्ष "0038'' - "संघ उत्पाद शुल्क'' को जमा की जाती हैं तथा बजटीय आवंटन के माध्यम से कुछ राशि निधि को अंतरित कर दी जाती थी। यह अधिनियम 01 अक्तूबर, 1986 को निरस्त कर दिया गया, तथापि, संपूर्ण राशि भारत की समेकित निधि को अंतरित नहीं की गई थी।

The proceeds of cess levied on the despatch of Coal and Coke under Coal Mines Welfare Fund Act, 1947 are credited to the head "0038" "Union Excise Duties" and some amount out of it was being transferred to the fund through budgetary allocation. The said Act has been repealed on 1st October, 1986, however, all the amounts were not transferred to Consolidated Fund of India.

वर्ष 2008-09 के लिए निधि का लेखा निम्नानुसार था:-

The account of the fund for the year 2008-09 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	11,86,51
प्राप्तियां	Receipts	27
अदायगियां	Payments	21,53
अंतशेष	Closing Balance	11,65,25